

मुकदमों का विवरण

मेसर्स ट्राइवेनी ग्लास लिमिटेड रिप. बाय इट्स डेप्युटी जनरल मैनेजर (सेल्स एंड पीआर) श्री आर. के. सिन्हा बनाम

व्यापार कर आयुक्त, यू. पी. (2011 का सिविल अपील सं. 3773 आदि) 09 अक्टूबर, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या निर्धारिती द्वारा निर्मित "टिंटेड ग्लास शीट्स" पर प्रविष्टि No.IV होने की अधिसूचना No.5784 दिनांक 07.09.1981 के तहत "कांच से बने सामान या माल" के रूप में कर लगाया जा सकता है या अप्रवर्गीकृत वस्तु के रूप में।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 -एस. 3 ए-निर्धारिती द्वारा निर्मित रंगीन कांच की चादरें-कर का शुल्क:

आयोजित किया गया: निर्माण की प्रक्रिया के दौरान रंगीन कांच की चादर एक परिवर्तन से गुजरती है और एक सादे कांच की चादर से अलग होती है, इस प्रकार, प्रविष्टि संख्या के तहत 'कांच से बने सभी सामान और माल' के रूप में कर के लिए उपयुक्त है। अधिसूचना केशन का IV और एक शुल्क @15% आकर्षित करता है-सादे कांच के पैनों का बहिष्करण, ऑप्टिकल लेंस 10 प्रतिशत कर आकर्षित करने वाले अवशिष्ट खंड के भीतर आएगा-अधिसूचना केशन दिनांक 07.09.1981 और प्रविष्टि संख्या में कोई अस्पष्टता नहीं है। IV स्पष्ट और स्पष्ट है-इसने व्यापक रूप से "कांच से बने सभी सामान और माल" को कर के दायरे में लाया है, जिसमें "सादे कांच के पैन" शामिल नहीं हैं और छूट कानून का निर्माण ही है, इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए-पहले प्रविष्टि केवल "कांच के बर्तन" थी और उक्त प्रविष्टि को बाद में संशोधित किया गया था और विधायिका का इरादा स्पष्ट रूप से कांच से बने किसी भी सामान और माल को अपने दायरे में शामिल करने के लिए स्पष्ट है-विधायिका का "का" अभिव्यक्ति का उपयोग करने का इरादा उद्देश्य को प्रकट करेगा और अदालत को यह मान लेना चाहिए कि विधायिका उचित थी-इसके अलावा, न तो शब्दकोश का अर्थ और न ही सामान्य बोलचाल का सिद्धांत निर्धारिती के बचाव में आएगा-इस प्रकार, अभिव्यक्ति "सभी सामान और माल"

1095 1096

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उन विशिष्टताओं को छोड़कर जिन्हें प्रविष्टि में ही शामिल नहीं किया गया है-विवादित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।[पैरा 15,17,26,29-31]

कानूनों की व्याख्या-राजकोषीय कानून-प्रावधानों की व्याख्या:

आयोजित किया गया:कानून में उपयोग किए गए शब्द को उस उद्देश्य से अपना रंग लेना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है और उन शब्दों पर भी विचार करना चाहिए जिनके साथ वह संदर्भ में जुड़ा हुआ है।[पैरा 17]

शब्द और वाक्यांश-शब्द 'सादा' और 'फलक'-का अर्थ।[पैरा **23**]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड बनाम केरल राज्य (1989) 3 एस. सी. सी. 127:[1989] 3 एस. सी. आर. 210; मकसूद मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(1978) 41 एसटीसी 324-प्रतिष्ठित।

मौरी यीस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) एससीसी 680; जीप फ्लैशलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (2002) 9 एससीसी 545; झारखंड राज्य और अन्य बनाम एलए ओपला आरजी लिमिटेड (2014) 15 एससीसी 136: [2014] 14 एस. सी. आर. 305; बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश बनाम त्रिवेणी शीट ग्लास लिमिटेड और अन्य (1990) 76 एस. टी. सी. 308 (एफ. बी.) = 1989 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 346; अतुल ग्लास इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड बनाम केंद्रीय कलेक्टर आबकारी (1986) 3 एस. सी. सी. 480:[1986] 3 एस. सी. आर. 126; रामावतार बुधाइप्रसाद आदि. वी.सहायक बिक्री कर कार्यालय (1962) 1 एस. सी. आर. 279; मेसर्स इंडो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज बनाम बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (1981) 2 एस. सी. सी. 528: [1981] 3 एस. सी. आर. 295; वृंदावन बैंगल स्टोर और ओ. आर. एस. बनाम ए. एस. एस. टी.कमिश्र

वाणिज्यिक करों और अन्य (2000) 1 एस. सी. सी. 674:[2000] 1 एससीआर 97;

बिक्री कर आयुक्त। दिल्ली प्रशासन विकास भवन, नई दिल्ली

बनाम बालुजा ग्लास कंपनी 1979 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 300:(1980) 46 एसटीसी 17;

बिक्री कर आयुक्त बनाम मोहम्मद।अयूब एंड संस 1981 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 971: (1982) 50 एसटीसी 187; एच. पी. एल. केमिकल्स लिमिटेड बनाम.केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ (1997) 2 एस. सी. सी. 677; यू. पी. ग्लास वर्क्स लिमिटेड बनाम कमिश्र

बिक्री कर। यूपी, लखनऊ।1973 एससीसी ऑनलाइन सभी 422:(1973) 32 एसटीसी 252:

1973 कर एल. आर. 2589; बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ बनाम बनारस बीड

विनिर्माण कंपनी, वाराणसी 1968 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 380:(1970) 25 एसटीसी

100; जलाल प्लास्टिक उद्योग और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। 1981 (8)

मेसर्स ट्राइवेनी ग्लास लिमिटेड प्रतिनिधि. अपने विभाग द्वारा

1097

सामान्य प्रबंधक (बिक्री और पी. आर.) श्री आर. के. सिन्हा बनाम व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश

ई. एल. टी. 653; बिक्री कर आयुक्त बनाम दाऊदभाई एम. तैयबली (1975) 36 एस. टी. सी. 291; निरलेक्स स्पेयर्स (पी) लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

(2008) 2 एससीसी 628:[2008] 1 एस. सी. आर. 117; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम

आर्यवर्ध चावल उद्योग और अन्य (2015) 17 एस. सी. सी. 324; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य। (2018) 9

एससीसी 1:[2018] 7 एस. सी. आर. 1191-संदर्भित।

वेबस्टर्स एनसाइक्लोपेडिक अनएब्रिज्ड डिक्शनरी 1989 संस्करण; कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड रेफरेंस डिक्शनरी; "वेबस्टर्स डिक्शनरी"; संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2011 की सिविल अपील सं. 3773।2003 के टी. टी. आर. No.1060 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.08.2008 से।

के साथ

2023 की सिविल अपील संख्या 5914 और 5965-5966।

रूप:

एस. के. बागरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनीश अग्रवाल, अजीत कुमार, प्रतीक कुमार। सी., अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आर. के. रायजादा, वरिष्ठ अधिवक्ता, भक्ति वर्धन सिंह, अंकित खत्री, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अरविंद कुमार, जे।

1. हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित "टिंटेड ग्लास शीट्स" पर अधिसूचना कैशन No.5784 दिनांकित 07.09.1981 प्रविष्टि No.IV के तहत "कांच से बने सामान या माल" के रूप में कर लगाया जा सकता है या अप्रवर्गीकृत वस्तु के रूप में।

2. इन सभी अपीलों में, कानून का उपरोक्त सामान्य प्रश्न हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है। संक्षेप में वे तथ्य जो सिविल अपील No.3773 1098 में सामान्य हैं।

2011 का वर्ष कर निर्धारण वर्षों 1996-97 से संबंधित है, 2023 की सिविल अपील No.5914 कर निर्धारण वर्षों 1992-93 से 1996-97 के लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए जारी किए गए नोटिस से संबंधित है और जबकि 2023 की सिविल अपील Nos.5965-66 क्रमशः कर निर्धारण वर्षों 1998-99 और 2003-04 से संबंधित है।³ अपीलार्थी शीट ग्लास, टिंटेड ग्लास, रंगीन ग्लास, फाई ग्युर्ड ग्लास, वॉइड ग्लास, वायर्ड ग्लास, फ्लोट ग्लास और न्यूट्रल ग्लास के निर्माण और बिक्री से संबंधित है। मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान निविदा की गई लेखा पुस्तकों पर ध्यान देने के बाद मूल्यांकन अधिकारी ने जांच के बाद कहा कि निर्धारिती द्वारा एक अलग इकाई में रंगीन कांच का निर्माण किया गया है और इसके निर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया शीट ग्लास के निर्माण से अलग है। आकलन ऑफिसर ने अपने आदेश में आगे कहा है कि रंगीन कांच के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल में शीट ग्लास के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के अलावा कोबाल्ट ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आदि शामिल हैं। ऑफिसर का आकलन करते हुए आगे कहा गया है कि रंगीन रंगीन कांच की पारदर्शिता और घनत्व सरल कांच की सतह से अलग है और साथ ही रंगीन कांच की अवशोषण क्षमता पर सौर विकिरण भी साधारण शीट ग्लास की तुलना में अधिक है। वह अपने मूल्यांकन आदेशों में आगे निष्कर्ष निकालते हैं कि सामान्य और सामान्य बोलचाल में रंगीन कांच को शीट ग्लास के रूप में पहचाना या समझा नहीं जाता है।

4. इसलिए, मूल्यांकन अधिकारी ने माल की बिक्री पर यह कहते हुए कर लगाया कि माल को सादे कांच की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन "कांच से बने सभी सामान और माल" की श्रेणी के तहत, जैसा कि अधिसूचना No.5784 दिनांक 07.09.1981 में दर्शाया गया है। उक्त मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया और कर @15% के अधिरोपण को बरकरार रखा गया। अपीलीय प्राधिकरण ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए "माल" शब्द के अर्थ पर भी भरोसा किया कि केवल सादे कांच की चादर को गैर-वर्गीकृत वस्तु के रूप में लिया गया है, न कि विचाराधीन वस्तु के रूप में। निर्धारिती व्यापार कर न्यायाधिकरण के समक्ष असफल रहा। मूल्यांकन अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निर्णयों के विपरीत उठाई गई दलीलें और आधार भी न्यायाधिकरण द्वारा समर्थित नहीं थे। दूसरे शब्दों में, प्राधिकरणों के आदेश न्यायाधिकरण द्वारा लागू किए गए। निर्धारिती ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके अपनी शिकायत का पीछा किया जिसमें तर्क दिया गया था कि सादे कांच के पैन जिन्हें व्यावसायिक रूप से शीट ग्लास के रूप में जाना जाता है, उनमें रंगीन और गैर-रंगीन दोनों रूपों में शीट ग्लास और 1099 शामिल हैं।

मेसर्स ट्राइवेनी ग्लास लिमिटेड प्रतिनिधि. अपने विभाग द्वारा

प्रविष्टि "सादे कांच के पैन" की व्याख्या रंगीन कांच को इसके दायरे से बाहर करने के लिए नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी का यह तर्क कि रंगीन/रंगीन कांच का निर्माण बिना रंग के कांच के निर्माण के समान है, भी न्यायाधिकरण द्वारा माफ नहीं किया गया। अतः पुनरीक्षण आवेदन/याचिका खारिज कर दी गई।

5. कर निर्धारण वर्षों 1996-97, 1998-99 और 2003-04 से संबंधित मूल्यांकन आदेश अपील और संशोधन का विषय थे जैसा कि ऊपर देखा गया है। हालाँकि, कर निर्धारण वर्षों के लिए धारा 21 (2) के तहत 1992-93 से 1996-97 नोटिस जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि वस्तुओं पर @15% कर लगाया जाना चाहिए, जबकि अधिभार सहित कर @10% जमा किया गया था। इसलिए, अपीलार्थी से यह दिखाने के लिए कहा गया कि उक्त माल की बिक्री पर बिक्री कर @15% क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। कर निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए जारी नोटिस पर निर्णय लिया गया और 12.9.2002 पर एक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया।

जो 2011 की सिविल अपील संख्या 3773 का विषय है। नोटिसों में

कर निर्धारण वर्षों 1992-93 से 1996-97 के लिए कर @15% की मांग की गई

2001 के रिट याचिका संख्या 283 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाएगी

इलाहाबाद में न्यायिक प्रक्रिया, जिसे रिट याचिका के रूप में खारिज किया गया था, अपीलार्थी के मामले में ही उक्त मुद्दे को पहले ही समाप्त कर दिया गया था, कर निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए मूल्यांकन आदेश के आलोक में इसी तरह की दलीलों को अस्वीकार करके पारित किया गया था। इसलिए, इन सभी अपीलों में कानून का सामान्य प्रश्न उत्पन्न हुआ है और इस तरह उन्हें विचार, निर्णय और निर्धारण के लिए एक साथ लिया जाता है।

6. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. के. बागरिया और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. के. रायज़ादा की दलीलें सुनी हैं।

7. अपीलार्थी-निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. के. बागरिया ने तर्क दिया है कि रंगीन कांच भी शीट ग्लास है और इस तरह 10 प्रतिशत कर लगता है न कि 15 प्रतिशत जैसा कि राजस्व द्वारा दावा किया जाता है। वह तर्क देंगे कि दोनों चश्मे के बीच एकमात्र अंतर रंग है। वह आग्रह करेंगे कि रंगीन कांच और साधारण कांच एक ही वस्तु हैं और दोनों "कांच से बने सामान और माल" की श्रेणी में नहीं आते हैं। नीचे उल्लिखित कई निर्णयों पर भरोसा रखते हुए वह प्रस्तुत करेंगे कि रंगीन कांच अपने प्राथमिक अर्थ में कांच है और रंगीन शीट ग्लास और सादे कांच की निर्माण प्रक्रिया में कोई भौतिक अंतर मौजूद नहीं है। वह अपनी दलीलों को विस्तार से बताएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

यह तर्क देते हुए कि रंगीन कांच को बाहर रखा जा सकता है क्योंकि यह "सादे कांच के पैन" के अलावा और कुछ नहीं है और उन्होंने "सादे" और "पैन" शब्द के शब्दकोश अर्थ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया ताकि यह तर्क दिया जा सके कि इन दोनों वस्तुओं के बीच कोई अंतर नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि रंग जोड़ने से रंगीन कांच की चादर अधिसूचना कैशन No.5784 दिनांक 07.09.1981 के प्रवेश संख्या 4 के बहिष्करण खंड के दायरे से बाहर नहीं जाएगी।

8. वह अपने तर्क को साबित करने के लिए मार्च, 1988 में फ्लैट ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास (तीसरा संशोधन) के लिए भारतीय मानक विनिर्देश में दिए गए "ग्लास" और "ग्लास शीट" के विवरण पर भरोसा करेंगे। वह यह भी प्रस्तुत करेगा कि राजस्व बोझ का निर्वहन करने के अपने प्रयास में विफल रहा है और यह प्रदर्शित करता है कि एक विशेष वस्तु एक विशेष प्रविष्टि में आती है। वह प्रस्तुत करेंगे कि पहले के मूल्यांकन वर्ष में मूल्यांकन प्राधिकरण ने स्वयं "रंगीन कांच की चादर" को सादे कांच की चादर के रूप में माना था और इस तरह से विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के लिए इसे तदनुसार माना जाना चाहिए।

9. इन तथ्यात्मक परिस्थितियों में उस वस्तु को अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाला मानते हुए कर का सहारा लेना भी उनका तर्क है। अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

- (i) अतुल ग्लास इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। (1986) 3 एससीसी 480
- ((ii) गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड और अन्य। बनाम केरल राज्य और अन्य। (1989) 3 एससीसी 127
- (iii) जीप फ्लैशलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारतीय संघ और अन्य। (2002) 9 एससीसी 545
- (iv) वृंदावन बैंगल स्टोर और ओआरएस बनाम सहायक। वाणिज्यिक कर आयुक्त और एक अन्य। (2000) 1 एस. सी. सी. 674
- (v) झारखंड राज्य और अन्य बनाम एल. ए. ओपला आर. जी. लिमिटेड। (2014) 15 एससीसी 136
- (vi) मेसर्स इंडो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज बनाम बिक्री कर आयुक्त। उत्तर प्रदेश। (1981) 2 एससीसी 528 1101

मेसर्स ट्राइवेनी ग्लास लिमिटेड प्रतिनिधि. अपने विभाग द्वारा

सामान्य प्रबंधक (बिक्री और पी. आर.) श्री आर. के. सिन्हा बनाम व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश [अरविंद कुमार, जे.] 1102

(vii) बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश बनाम त्रिवेणी शीट ग्लास वर्क्स लिमिटेड और अन्य (1989) एससीसी ऑनलाइन एमपी 346: (1990) 76 एसटीसी 308 (एफबी)

(viii) बिक्री कर आयुक्त। दिल्ली प्रशासन। विकास भवन, नई दिल्ली बनाम बालुजा ग्लास कंपनी 1979 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 300:(1980) 46 एसटीसी 17

(ix) बिक्री कर आयुक्त बनाम मोहम्मद। अयूब एंड संस 1981 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 971: (1982) 50 एसटीसी 187

(x) एच. पी. एल. केमिकल्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ (1997) 2 एस. सी. सी. 677

(xi) यू. पी. ग्लास वर्क्स लिमिटेड। बनाम आयुक्त, बिक्री कर। यूपी, लखनऊ। 1973 एससीसी ऑनलाइन सभी 422:(1973) 32 एसटीसी 252:1973 कर एल. आर. 2589 (xii) आयुक्त। बिक्री कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ बनाम बनारस बीड मैनुफैक्चरिंग कंपनी, वाराणसी 1968 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 380:(1970) 25 एसटीसी 100

(xiii) जलाल प्लास्टिक उद्योग और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। 1981 (8) ईएलटी 653

(xiv) बिक्री कर आयुक्त बनाम दाऊदभाई एम. तैयबली (1975) 36 एसटीसी 291

(xv) निरलेक्स स्पेयर्स (पी) लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2008) 2 एससीसी 628

(xvi) उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम आर्यवेथ चावल उद्योग और अन्य (2015) 17 SCC 324

(xvii) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य। (2018) 9 एससीसी 1

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर. के. रायजादा अधिकारियों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करेंगे और अपीलों को खारिज करने के लिए प्रार्थना करेंगे।

उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए परिणाम

11. विद्वान उच्च न्यायालय, जिसके समक्ष निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. के. बागरिया द्वारा आग्रह किए गए आधार थे,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

आग्रह किया गया था कि छह (6) प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक था और तदनुसार निम्नलिखित छह (6) प्रश्नों को तैयार किया गया था:

(i) क्या प्रविष्टि "कांच से बने सभी सामान और माल" है। सादे कांच के पैन को छोड़कर और उसी को अवर्गीकृत वस्तु के रूप में माना जाता है, व्यापार कर न्यायाधिकरण और निचले अधिकारियों

को घोषित वस्तु के रूप में रंगीन/वादी कांच के पैन पर कर लगाने के लिए न्यायसंगत ठहराया गया था?

(ii) क्या आम बोलचाल के साथ-साथ रंगीन/रंगीन कांच के पैन और सादे कांच के पैन के उपयोगकर्ता समान हैं, इसके बावजूद रंगीन/रंगीन कांच के पैन पर कर गैर-वर्गीकृत वस्तु के बजाय घोषित वस्तु के रूप में लगाया गया है?

((iii) क्या सादे कांच के फलक रंगीन कांच के फलकों को नहीं ढकते हैं?

(iv) क्या एक बार प्रवेश करने वाले सादे कांच के पैन को "कांच से बने सभी सामानों और वस्तुओं" की प्रविष्टि से विशिष्ट रूप से बाहर रखा गया है, अधिकारियों को कांच के बर्तनों से बने सामान के रूप में सादे कांच के पैन (रंगीन और रंगीन कांच के पैन) पर कर लगाने के लिए उचित नहीं ठहराया गया था।

(v) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक इंच रंगों को मिलाने से कोई नई वाणिज्यिक वस्तु अस्तित्व में नहीं आती है क्योंकि रंगीन कांच के पैन एक सादे कांच के पैन हैं, फिर भी कर को गैर-वर्गीकृत वस्तु के बजाय घोषित वस्तु के रूप में लगाया जा सकता है?

(vi) क्या मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, व्यापार कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत है?

12. उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि अधिकारियों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि विशेष जांच शाखा इकाई, इलाहाबाद के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण के दौरान, यह देखा गया कि रंगीन चादर के निर्माण के लिए अपनाई गई निर्माण प्रक्रिया कांच की चादर के निर्माण के लिए अपनाई गई निर्माण प्रक्रिया से अलग या अलग थी और यह भी देखा गया कि रंगीन कांच की चादर एक अलग इकाई में बनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अधिकारियों ने नोट किया था कि रंगीन रंगीन शीट ग्लास का घनत्व और पारदर्शिता सामान्य शीट ग्लास से अलग है और रंगीन रंगीन ग्लास शीट की सौर अवशोषण शक्ति सादे शीट ग्लास की तुलना में बहुत अधिक है और बाजार में या आम बोलचाल में 'रंगीन ग्लास शीट' को सादे शीट ग्लास के रूप में नहीं माना जाता है।

मेसर्स ट्राइवेनी ग्लास लिमिटेड प्रतिनिधि. अपने विभाग द्वारा

1103

सामान्य प्रबंधक (बिक्री और पी. आर.) श्री आर. के. सिन्हा बनाम व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश [अरविंद कुमार, जे.]

1104

हमारे लक्ष्य

13. इन अपीलों में निर्धारिती और राजस्व के बीच रस्साकशी निर्धारिती की इस दलील के इर्द-गिर्द घूमती है कि उसके द्वारा निर्मित रंगीन चश्मे धारा 3 ए की उप-धारा (1) के खंड (सी) अर्थात् अवशिष्ट खंड के तहत आते हैं और इस तरह कर 10 प्रतिशत की दर से लगाया जाना है। जबकि राजस्व यह तर्क दे रहा है कि यह अधिसूचना No.5784 दिनांक 07.09.1981 की प्रविष्टि संख्या 4

के तहत आता है, जिसे अधिनियम की धारा 3 ए की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। इस पृष्ठभूमि में, प्रतिद्वंद्वी विवादों की जांच की जानी चाहिए और यू. पी. व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 ए को निकालना उचित और उचित होगा। यह नीचे लिखा है:

“धारा 3-ए: कर की दरें

(1) धारा 3-डी में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस अधिनियम के तहत एक व्यापारी द्वारा देय कर लगाया जाएगा:--

(क) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय के लिए अधिकतम दर पर उपभोक्ता को बिक्री के बिंदु पर "घोषित वस्तुओं" के संबंध में कारोबार पर, या जहां राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अन्य एकल बिंदु या कम दर, ऐसे अन्य बिंदु पर या इतनी कम दर पर घोषित करती है;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट माल के अलावा ऐसी वस्तुओं के संबंध में कारोबार), ऐसे बिंदु पर और ऐसी दर पर, जो पचास प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है और विभिन्न वस्तुओं के संबंध में अलग-अलग बिंदु और अलग-अलग दरें घोषित की जा सकती हैं।

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के संबंध में विनिर्माता या आयातक द्वारा दस प्रतिशत की दर से बिक्री के बिंदु पर।

(2) इस धारा के तहत की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसे बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, जब तक कि यह सत्र में है, चौदह दिनों से कम की कुल अवधि के लिए, जो इसके एक सत्र या एक से अधिक क्रमिक सत्रों में विस्तारित होगी; और जब तक कि कुछ बाद की तारीख नियुक्त नहीं की जाती है, तब तक राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन से प्रभावी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख, ऐसे संशोधनों या रद्दियों के अधीन रहते हुए जो विधानमंडल के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सहमत हों, हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना उसके तहत पहले की गई किसी भी चीज की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, सिवाय इसके कि कोई भी अधिरोपण, निर्धारण, लेवी या कर या जुर्माने का संग्रह उक्त संशोधन या रद्द करने के अधीन होगा।

(3) जहां राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश व्यापार कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारंभ से ठीक पहले उप-धारा (1) के खंड (बी), खंड (सी), खंड (सी-1), खंड (डी) या खंड (ई) के तहत

अधिनियम के तहत किसी व्यापारी द्वारा देय कर के उद्धृहीत होने की घोषणा की है और ऐसी शुरुआत पर लागू ऐसी घोषणा, ऐसी दर या कर का बिंदु ऐसे प्रारंभ के बाद तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसमें संशोधन या निरसन नहीं किया जाता है।”

14. धारा 3-ए की उप-धारा (1) के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि अधिनियम के तहत विक्रेता द्वारा देय कर खंड (ए) के तहत "घोषित वस्तुओं" के संबंध में कारोबार पर, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 में उस समय निर्दिष्ट की जा रही अधिकतम दर पर उपभोक्ता को बिक्री के बिंदु पर, या जहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी अन्य एकल बिंदु या कम दर को ऐसे अन्य बिंदु पर या ऐसी कम दर पर घोषित करती है; खंड (बी) के तहत खंड (ए) में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा ऐसी वस्तुओं के संबंध में कारोबार पर, ऐसे बिंदु पर और ऐसी दर पर, जो राज्य के अनुसार पचास प्रतिशत से अधिक नहीं है, लगाया जाएगा।

15. अधिसूचना सं. अधिनियम की धारा 3 ए की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया एसटी-2-5784 एक्स-10 (1)-80 दिनांक 7/9/1981 निर्दिष्ट करता है कि प्रविष्टि संख्या 4 के तहत निम्नानुसार है: “4. कांच से बने सभी सामान और कांच के बर्तन लेकिन सादे कांच के पैन ऑप्टिकल लेंस, तूफान लालटेन, चिमनी की बोतलें और शील, कांच के मोती, नैदानिक सिरिंज, थर्म मीटर और वैज्ञानिक सी उपकरण और कांच से बने उपकरण शामिल नहीं हैं।”

मेसर्स ट्राइवेनी ग्लास लिमिटेड प्रतिनिधि. अपने विभाग द्वारा

1105

सामान्य प्रबंधक (बिक्री और पी. आर.) श्री आर. के. सिन्हा बनाम व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश [अरविंद कुमार, जे.]
1106

इस प्रकार, उपरोक्त प्रविष्टि के एक सादे पठन पर यह कोई संदेह नहीं छोड़ेगा कि कांच से बने सभी सामान और माल उक्त प्रविष्टि की अवज्ञा के भीतर आएंगे या दूसरे शब्दों में, कांच से बने सभी सामान और माल उपरोक्त अधिसूचना के प्रविष्टि No.IV के भीतर आएंगे और इस प्रकार एक शुल्क @15% आकर्षित करेंगे। सादे कांच के पैन, ऑप्टिकल लेंस का बहिष्कार, जैसा कि उसमें संकेत दिया गया है, 10 प्रतिशत कर आकर्षित करने वाले अवशिष्ट खंड के भीतर आएगा।

16. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, वर्तमान मामले में सामने आए तथ्यों में इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या रंगीन कांच की चादर को सादे कांच की चादरों के बराबर माना जाना है या नहीं। 17. प्रविष्टि के इतिहास का पता लगाने पर निम्नानुसार ध्यान दिया जा सकता है: (i) कांच के बर्तन

1.4.48 31.3.56 (ii) 1.4.56 से 19.5.76 तूफान लालटेन, चिमनी के अलावा अन्य कांच के बर्तन, ऑप्टिकल लेंस और बोतलें। (iii) कांच से बने लेकिन सादे कांच, पैन, ऑप्टिकल लेंस, तूफान लालटेन, चिमनी, बोतलें और शीश के मोती, नैदानिक सिरिंज, कांच से बने थर्मामीटर सहित कांच से बने सभी सामान और बर्तन।

(iv) कांच की तारीख तक बनाए गए सभी सामान और माल, लेकिन सादे सामान को शामिल नहीं किया गया है।

कांच, पैन, ऑप्टिकल लेंस, तूफान लालटेन, चिमनी, बोतलें और शीश के मोती, नैदानिक सिरिंज, थर्मामीटर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

और वैज्ञानिक सी उपकरण और कांच से बने उपकरण।

इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि पहले प्रविष्टि केवल "कांच के बर्तन" थे और उक्त प्रविष्टि को बाद में इसके दायरे और दायरे में "सभी सामान" शब्द जोड़कर संशोधित किया गया था और अभिव्यक्ति का यह विस्तार सभी वस्तुओं और कांच के सामान को शामिल करने के लिए विधायिका के इरादे को इंगित करेगा जब तक कि बाहर नहीं किया जाता है, दूसरे शब्दों में, विधायिका का इरादा स्पष्ट रूप से कांच से बने किसी भी सामान और माल को अपने दायरे में शामिल करने के लिए स्पष्ट है। "का" शब्द का अर्थ भी अर्थ प्राप्त करता है। "की" इस अभिव्यक्ति का उपयोग करने का विधायिका का इरादा उद्देश्य को प्रकट करेगा और यह अदालत का प्रयास होगा कि वह खुद को विधायिका की अध्यक्षता में रखे और यह मान ले कि विधायिका का उद्देश्य था।

मौरी यीस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार उचित

बनाम। उत्तर प्रदेश की स्थिति (2008) एस. सी. सी. 680 जिसमें "सभी प्रकार के रसायन" अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई थी। यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक कानून में उपयोग किया गया शब्द उस उद्देश्य से अपना रंग लेना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है और उन शब्दों पर भी विचार करना चाहिए जिनके साथ वह संदर्भ में जुड़ा हुआ है।

18. जीप फ्लैशलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में। बनाम भारत संघ और अन्य (2002) 9 एस. सी. सी. 545, इस न्यायालय का विचार था कि

निर्माण आदेश की कैनन कि आम तौर पर बाजार में जानी जाने वाली वस्तु इसके प्रवेश के निर्धारण का आधार होगी। यह आगे आयोजित किया गया:

“5. निर्णयों के एक समूह द्वारा यह तय किया गया कानून है कि किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए कर कानून में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति को वह अर्थ दिया जाना चाहिए जो आम तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार या वस्तुओं के बाजार में दिया जाता है और इसकी व्याख्या इस अर्थ में की जानी चाहिए कि कानून के विषय-वस्तु से परिचित व्यक्ति और उससे निपटने वाला व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा। (रामावतार बुधाइप्रसाद बनाम अस्टु देखें) एसटीओ [(1961) 12 एसटीसी 286:ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1325]। उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से मामले का रुख किया और सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि शुल्क वस्तु 15-ए (2) में उपयोग की जाने वाली

"प्लास्टिक से बनी वस्तुएं" अभिव्यक्ति में ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं हैं जो उप-वस्तु (1) में दर्शाई गई सामग्री से सीधे नहीं बनाई गई हैं, बल्कि ऐसी सामग्री से बनी वस्तुओं से बनाई गई हैं।"

मेसर्स ट्राइवेनी ग्लास लिमिटेड प्रतिनिधि. अपने विभाग द्वारा

1107

सामान्य प्रबंधक (बिक्री और पी. आर.) श्री आर. के. सिन्हा बनाम व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश [अरविंद कुमार, जे.]
1108

19. उच्च कोटि की मूर्तियों में प्रावधानों की व्याख्या और लोकप्रिय अर्थ के सिद्धांत के पालन के संबंध में स्थिति को दोहराना, जैसा कि राज्य के मामले में उनकी सामान्य और लोकप्रिय भाषा में समझा जाता है।

झारखंड और अन्य बनाम एल. ए. ओपला आर. जी. लिमिटेड-(2014) 15 एस. सी. सी.
136

यह आयोजित किया गया था: "22. यह एक स्थापित कानून है कि कानूनों पर कर लगाने में शब्दों और अभिव्यक्तियों को उनकी सामान्य और लोकप्रिय बोलचाल में देखा जाना चाहिए और उनके वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। आम बोलचाल में, दो शब्द "प्रकार" और "रूप" एक ही महत्व के नहीं हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, जबकि अभिव्यक्ति "प्रकार" का अर्थ "प्रकार, वर्ग, नस्ल, समूह, परिवार, वंश" है; "रूप" शब्द का अर्थ "किसी चीज़ का दृश्य आकार या संयोजन" या "किसी कलात्मक कार्य में शैली, डिजाइन और व्यवस्था जो इसकी सामग्री से अलग है" है। इसी तरह, मैकमिलन डिक्शनरी ने "टाइप" को "समान गुणों या विशेषताओं वाले लोगों या चीज़ों के समूह के रूप में परिभाषित किया है जो उन्हें अन्य समूहों से अलग बनाते हैं" और "रूप" को "विशेष तरीके से जिसमें कुछ प्रकट होता है या मौजूद होता है या किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का आकार" के रूप में परिभाषित किया है। इसलिए, "प्रकार" वर्गीकृत किए जाने वाले आइटम की व्यापक प्रकृति पर आधारित होते हैं और "रूपों" के संदर्भ में, विशिष्ट विशेषता उस विशेष तरीके से होती है जिसमें आइटम मौजूद होते हैं। एक उदाहरण वस्तु "मोम" हो सकता है। मोम के प्रकारों में पशु, सब्जी, पेट्रोलियम, खनिज या सिंथेटिक मोम शामिल होंगे जबकि मोम के रूप में मोमबत्तियाँ, स्नेहक मोम, सीलिंग मोम आदि हो सकते हैं।"

20. तत्काल मामले में, निर्धारिती ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है

बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश बनाम त्रिवेणी शीट ग्लास लिमिटेड और अन्य, (1990) 76 एसटीसी **308** (पूर्ण पीठ) = **1989** एससीसी ऑनलाइन

एमपी 346 जिसके तहत कांच की चादरों के प्रवेश से संबंधित मुद्दा विचार के लिए आया था, अर्थात् क्या कांच की चादरें "कांच और कांच के बर्तनों से बने सामान" अभिव्यक्ति के दायरे में आती हैं। विवादित आदेश के तहत जिस फैसले पर भरोसा किया गया था, उसे निम्नानुसार अलग किया गया: "फिर सी. एस. टी., मध्य प्रदेश बनाम त्रिवेणी पत्रक पर निर्भरता रखी गई।

ग्लास वर्क्स लिमिटेड (1990), 76 एसटीसी 308, का एक पूर्ण पीठ निर्णय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसमें सवाल कांच की चादरों की करयोग्यता के संबंध में था। प्रविष्टि का प्रासंगिक भाग था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

“कांच और कांच के बर्तनों से बने सामान ”। पैरा 7 में पूर्ण पीठ ने देखा कि निस्संदेह कांच, वस्तुओं या कांच से बनी वस्तुओं के बीच अंतर है। ऐसा करने के बाद, इसने बोर्ड के आदेश के एक अंश का हवाला दिया जिसमें बोर्ड द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कांच की चादर, कांच का सरलीकरण है। इसलिए, पूर्ण पीठ के अनुसार कांच की चादर एक प्राथमिक उत्पाद है जिसका उपयोग कांच से बने सामान या वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जा सकता है और इसकी तुलना कांच से बने सामान या वस्तुओं से नहीं की जा सकती है। पूर्ण पीठ ने बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, नागपुर बनाम मोहनलाल रामकिशन नथानी (1955) 6 एस. टी. सी. 136 और त्रिभुवनदास गुलाबचंद एंड ब्रदर्स, नागपुर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1965) 16 एस. टी. सी. 452 (बॉम्बे) और सी. एस. टी. बनाम बॉम्बे ग्लासहाउस (1986) 63 एस. टी. सी. 350 (एम. पी.) में दिए गए निर्णय के साथ अपनी असहमति व्यक्त की। पूर्ण पीठ की राय थी कि इन निर्णयों में, यह ध्यान में नहीं रखा गया था कि कांच की चादर आम बोलचाल है और कांच की चादर एक प्राथमिक उत्पाद है जिसका उपयोग कांच से बने सामानों के उत्पादन के लिए किया जाता है। कांच की चादर एक प्राथमिक उत्पाद है।” यह मामले को वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग करता है।”

21. अतुल ग्लास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में यह अदालत। बनाम। कलेक्टर

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (1986) 63 एस. टी. सी. 322 ने यह निर्धारित करने के लिए सामान्य रूप से लागू परीक्षण आयोजित किया है कि क्या कोई वस्तु विनिर्माण प्रक्रियाओं के अधीन होने के बाद एक अलग वस्तु बन जाती है या वही बनी रहती है। ऐसे उत्पाद के साथ काम करने या उपयोग करने वाले लोगों के वर्ग या वर्ग द्वारा उत्पाद की पहचान कैसे की जाती है। यह आयोजित किया गया था:

“8. ऐसे मामलों में आमतौर पर लागू किया जाने वाला परीक्षण है: उत्पाद के साथ काम करने या उपयोग करने वाले लोगों के वर्ग या वर्ग द्वारा उत्पाद की पहचान कैसे की जाती है? यह एक ऐसी परीक्षा है जो जब भी कानून आकर्षित करता है

इसमें कोई अवज्ञा शामिल नहीं है। पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड बनाम की स्थिति

हरियाणा [(1979) 1 एस. सी. सी. 82:1979 एस. सी. सी. (कर) 38:ए. आई. आर 1979 एस. सी. 300:(1978) 42 एसटीसी 433]। यह आम तौर पर अपने कार्यात्मक चरित्र से होता है कि

उत्पाद इतनी पहचान योग्य है। सी. एस. टी. में, यू. पी. बनाम मैकनिल एंड बैरी लिमिटेड, कानपुर

[(1986) 1 एससीसी 23:1986 एस. सी. सी. (कर) 155] इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि साइट योजनाओं के प्रिंट और रेखाचित्र प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अमोनिया पेपर और फेरो पेपर को कागज के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस शब्द का उपयोग आम बोलचाल में किया जाता था। इसी आधार पर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने

उड़ीसा राज्य बनाम गेस्टेटनर डुप्लिकेटर्स (पी) लिमिटेड में आयोजित [(1974) 33 1109

मेसर्स ट्राइवेनी ग्लास लिमिटेड प्रतिनिधि. अपने विभाग द्वारा

सामान्य प्रबंधक (बिक्री और पी. आर.) श्री आर. के. सिन्हा बनाम व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश [अरविंद कुमार, जे.] 1110

एस. टी. सी. 333 (ओ. आर. आई.)] ने कहा कि स्टैंसिल पेपर को उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कागज के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह आम अनुभव की बात है कि किसी लेख की पहचान उसके प्राथमिक कार्य से जुड़ी होती है। यह केवल तर्कसंगत है कि ऐसा होना चाहिए। जब कोई उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदता है, तो वह उसे खरीदता है क्योंकि यह उसके लिए एक विशिष्ट सी कार्य करता है। उपभोक्ता के मन में उस वस्तु और उसके जीवन में इसकी आपूर्ति की आवश्यकता के बीच एक मानसिक संबंध है। यह लेख का कार्यात्मक चरित्र है जो उसके दिमाग में इसकी पहचान करता है। कांच के दर्पण के मामले में, उपभोक्ता मुख्य रूप से किसी भी चीज़ की तुलना में वस्तु के प्रतिफलक सक्रिय कार्य को याद करता है। यह एक दर्पण है, एक लेख जो छवियों को प्रतिबिंबित करता है। इसे केवल कांच के दर्पण के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि उस कांच में कांच शब्द दर्पण का वर्णनात्मक है जिसका उपयोग दर्पण के निर्माण के लिए एक माध्यम के रूप में किया गया है। लेख का मूल या मौलिक चरित्र इसके दर्पण होने में निहित है। दिल्ली में इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी

क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कं. लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य [(1980) 4 एससीसी

71 :1980 एस. सी. सी. (कर) 548:ए. आई. आर 1980 एस. सी. 1552:(1980) 3 एस. सी. आर. 1109] जो बिक्री कर कानून के तहत एक मामला था: (एस. सी. सी. पीपी. 75-76, पैरा 7) "। किसी वस्तु या वस्तु का वर्णन करने वाले शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ या अर्थ को निर्धारित करने में, जिसके कारोबार पर बिक्री कर अधिनियम में कर लगाया जाता है, यदि एक सिद्धांत काफी अच्छी तरह से तय किया गया है, तो यह है कि शब्दों या अभिव्यक्तियों का अर्थ उस अर्थ में लगाया जाना चाहिए जिसमें वे व्यापार में, व्यापारी और उपभोक्ता द्वारा समझे जाते हैं। वे ही हैं जो इससे संबंधित हैं, और यह वह अर्थ है जिसमें वे इसे समझते हैं जो कानून के अधिनियमित होने पर विधायी इरादे के निश्चित सूचकांक का गठन करता है।"

जीप फ्लैशलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में भी यही विचार व्यक्त किया गया था। भारत संघ [(1985) 22 ईएलटी 3]। जहां माल विपणन योग्य नहीं है, वहां निर्माण का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता है: इंडियन एल्यूमीनियम केबल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ [(1985) 3 एस. सी. सी. 284:1985 एस. सी. सी. (कर) 383] इस सवाल का जवाब दिया गया कि क्या थर्मामीटर,

लैक्टोमीटर, सिरिंज, आईवाश ग्लास और मापने वाले ग्लास को उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 के उद्देश्य के लिए "कांच के बर्तन" के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

उड़ीसा राज्य बनाम जनता मेडिकल स्टोर में उड़ीसा उच्च न्यायालय [(1976) 37

एस. टी. सी. 33 (ओ. आर. आई.)] नकारात्मक में। उसी प्रभाव के लिए इस का निर्णय है

भारत अंतर्राष्ट्रीय उद्योग बनाम सी. एस. टी., उत्तर प्रदेश में न्यायालय [(1981) 2

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

एससीसी 528:1981 एससीसी (कर) 130:ए. आई. आर. 1981 एससी 1079:(1981) 3 एस. सी. आर. 294] जहाँ हाइपोडर्मिक नैदानिक सिरिंज को "अस्पताल के उपकरण और उपकरण" से संबंधित प्रविष्टि के तहत अधिक सटीक रूप से गिरना माना जाता था, न कि प्रविष्टि के तहत जो यूपी बिक्री कर अधिनियम में "कांच के सामान" से संबंधित था।

उपरोक्त निर्णय में, विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि किस शुल्क वस्तु 'कांच का दर्पण' गिरेगा, और मोटर वाहनों में विंड स्क्रीन, रियर स्क्रीन, विंडो स्क्रीन के रूप में लगे कांच के पर्दे किस प्रतिस्पर्धी शुल्क वस्तु के तहत आएंगे। इस प्रश्न का निर्णय देते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि प्रसंस्करण के क्रमिक चरण के बाद कांच की चादर एक कांच के दर्पण और एक रिफिल सक्रिय सतह के साथ एक अलग वाणिज्यिक उत्पाद बनने के लिए एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरती है। इसे आगे रखा गया, इस प्रक्रिया के बाद कांच की चादर को केवल एक माध्यम तक कम कर दिया जाता है और यदि परत के किसी भी हिस्से को खरोंच कर हटा दिया जाता है तो कांच के दर्पण का वह विशेष क्षेत्र कांच का दर्पण नहीं रहेगा। यह भी माना गया कि उक्त वस्तु को केवल कांच के दर्पण के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि "कांच" शब्द जो दर्पण का वर्णनात्मक है और वस्तु का आधार या मौलिक चरित्र इसके दर्पण होने में निहित है, उसे कांच नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, उत्पाद के संबंध में विधायी इरादा स्पष्ट है, अर्थात्, प्राथमिक उत्पाद उस प्राथमिक उत्पाद से बने सामान और वस्तुओं के साथ युग्मित नहीं है। इस प्रकार, यह यह निर्धारित करने के लिए आमतौर पर लागू किए जाने वाले परीक्षण से सामने आएगा कि क्या कोई वस्तु इसे निर्माण प्रक्रिया के अधीन करने के बाद एक अलग वस्तु बन जाती है या वही रहती है और जैसा कि उपरोक्त निर्णय में कहा गया है, इसकी जांच करनी होगी कि उत्पाद की पहचान उत्पाद के साथ काम करने वाले या उपयोग करने वाले लोगों के वर्ग या वर्ग द्वारा कैसे की जाती है। यह परीक्षण विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब मूर्ति में कोई परिभाषा नहीं होती है और इसके कार्यात्मक चरित्र से एक उत्पाद की पहचान की जाती है।

22. वास्तव में, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है और निम्नलिखित निर्णय दर्ज किया है:

“उक्त मुद्दे को इस दृष्टिकोण से हल किया जा सकता है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में हैं, वे वाणिज्यिक शब्दों में सादे कांच की चादरों का अर्थ कैसे समझते हैं, जैसा कि न्यायाधिकरण ने देखा है, सादे कांच की चादरों का अर्थ है रंगहीन कांच या पानी का रंग होना। न्यायाधिकरण ने देखा है कि जब कोई ग्राहक सादे कांच की चादर की मांग करता है तो कांच की चादर के विक्रेता को रंगीन सहित सभी प्रकार के शीट ग्लास को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक एक रंगीन कांच की मांग नहीं की जाती है, एक व्यापारी 1111 प्रदर्शित करता है।

मेसर्स ट्राइवेनी ग्लास लिमिटेड प्रतिनिधि. अपने विभाग द्वारा

सामान्य प्रबंधक (बिक्री और पी. आर.) श्री आर. के. सिन्हा बनाम व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश [अरविंद कुमार, जे.]
1112

(रंगहीन) सादे कांच की चादर। न्यायाधिकरणों का उक्त निर्णय अनिवार्य रूप से तथ्य का एक निष्कर्ष है। आम बोलचाल में भी, खिड़की और दरवाजों में, सादे कांच की चादर यानी बिना रंग की कांच की चादरों का उपयोग आम तौर पर किया जाता है इन कांच की चादरों का उपयोग टेबल टॉप के रूप में, शोकेस में और अल्मिरा में रैंक के रूप में भी किया जाता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आम तौर पर केवल सादे कांच की चादरों का उपयोग किया जाता है जो रंगीन नहीं होती हैं।”

23. अब, हम "सादे कांच की चादर" के संबंध में दिए गए सरल शब्दकोश अर्थ को नोट करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि "सादे कांच की चादर" के लिए दिए गए अर्थ को "रंगीन कांच की चादर" तक बढ़ाने के निर्धारिती के दावे की जांच की जा सके।”

प्लेइन:

वेबस्टर्स एनसाइक्लोपेडिक अनएब्रिज्ड डिक्शनरी **1989** संस्करण

स्पष्ट रूप से "सादा" के रूप में -

“सादा (योजना) एडज। 1. आँख या कान के लिए स्पष्ट: सादे दृश्य में खड़े होने के लिए नदी के लिए एक सादा मार्ग। 2. किसी का अर्थ सादा है, उस विषय की नापसंदगी जो सादा था। 3. अर्थ को स्पष्ट रूप से और सरलता से व्यक्त करना: आसानी से समझा जा सकता है; सादा 4. सीधा; सरासर; सरासर; सादा मूर्खतापूर्ण, सादा मूर्खतापूर्ण। 5. अस्पष्टता या चोरी से मुक्त; स्पष्ट; मुखर: मामले का स्पष्ट सत्य। 6. विशेष दिखावा, श्रेष्ठता लालित्य आदि के बिना।; सामान्य: साधारण लोग। 7. सुंदर नहीं है: शारीरिक रूप से अनाकर्षक या विशिष्ट: एक सादा चेहरा; एक बचपन का डर है कि वह सादा होगी। 8. बिना जटिलताओं या मुश्किल प्रथाओं के। 9. साधारण, सरल या बेपरवाह: हालाँकि वह एक डचेस थीं, लेकिन उनका व्यवहार आकर्षक रूप से सादा था। 10. कम या कोई अलंकरण, सजावट, या वृद्धि विस्तार के साथ: एक सादा नीला सूट। 11. बिना किसी पैटर्न, फिग, या उपकरण के: एक सादा कपड़ा। 12. भोजन के रूप में समृद्ध, अत्यधिक अनुभवी या विस्तृत रूप से तैयार नहीं किया गया: सादा, ताजा, पर्याप्त भोजन; एक सादा आहार। 13. एफ. एल. या स्तर: सादा देश। 14. अबाधित, साफ या खुला, जमीन के रूप में, एक स्थान, आदि। 15. कार्ड, फेस कार्ड या ट्रम्प के अलावा अन्य होना। - एड. 16. स्पष्ट और सरल: वह सिर्फ मूर्ख है - 17. क्षेत्र के भीतर आस-पास के

क्षेत्रों की तुलना में अधिक और ऊंचाई में अपेक्षाकृत मामूली अंतर के साथ, आमतौर पर 500 फीट से कम का क्षेत्र। 18. द प्लेन, फा. इतिहास. (नेशनल असेंबली में) उदारवादी गणराज्यों की शिथिल रूप से संगठित पार्टी: ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों ने सबसे निचली सीटों या बेंच पर कब्जा कर लिया था। सी. एफ. पहाड़ (डेफ.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

4). 19. मैदानों। ग्रेट प्लेन्स देखें। [एम. ई. ओ. एफ. एल. प्लान (यू. एस.) एफ. एल. एट, लेवल, प्लान (उम) एफ. एल. एट कंट्री]-प्लान लाइ, एड.- सादा भाव, एन.

द्वारा ऑडिट किए गए कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड संदर्भ शब्दकोश में

कैथरीन सोन्स शब्द "प्लेन" का अर्थ है "1. सरल या साधारण 2. एक पैटर्न के बिना 3. अचिह्नित 4. देखने या समझने में आसान"। वेबस्टर के शब्दकोश में "सादा" शब्द का अर्थ इस प्रकार है: "(प्लीइन) 1. एडज। सरल, अलंकृत या जटिल पूर्ण, पूर्ण, सादा पागलपन (भोजन का) को स्पष्ट रूप से देखना या समझना आसान है, जिसमें असामान्य या मसालेदार तत्व नहीं हैं, स्पष्ट रूप से शारीरिक सौंदर्य की कमी है, लेकिन बदसूरत नहीं है 2. स्तर का एक बड़ा विस्तार, खुला देश 3. एड। स्पष्ट रूप से, यह स्पष्ट रूप से गलत है, स्पष्ट रूप से, उसने उससे स्पष्ट रूप से कहा [KO F. fr। एल] "

पैन: "वेबस्टर्स डिक्शनरी ने "फलक" को इस रूप में परिभाषित किया है -

फलक-एक खिड़की में कांच की एक शीट, ग्रीनहाउस आदि खिड़की का एक विभाजन आदि, जिसमें एक फ्रेम में कांच की ऐसी शीट होती है जो एक बहु-पक्षीय वस्तु के किनारे या किनारे पर होती है।"

"संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में "फलक" को एक खिड़की या दरवाजे में कांच की एक शीट के रूप में परिभाषित किया गया है। 2. एक चेकर पैटर्न आदि का एक आयताकार विभाजन।

24. उपरोक्त परिभाषाओं को सरलता से पढ़ने से हम अपीलार्थी-निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों को दरकिनार करने के लिए बहुत लंबे समय तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि "पैन" का अर्थ है दरवाजों और खिड़कियों में उपयोग की जाने वाली छोटे आकार की कांच की चादरें और उन्हें पैन के रूप में या अलग-अलग आकारों में काटकर कांच की चादरों से नहीं बनाया जा सकता है। 25. फिर भी एक और विवाद उठाया गया कि विनिर्माण प्रक्रिया के बाद भी वस्तु वही बनी रहती है और हाथ में उत्पाद पर उक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, अर्थात् रंगीन कांच की चादरें गुजरात पर भरोसा करके "सादे कांच के पैन" नामक प्रजाति का वंश बनी रहेगी।

स्टील ट्यूब लिमिटेड बनाम केरल राज्य (1989) 3 एस. सी. सी. 127 और मकसूद मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (1978) 41 एस. टी. सी. 324।

दोनों निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं, और 1113 में अपनाए गए तर्क

मेसर्स ट्राइवेनी ग्लास लिमिटेड प्रतिनिधि. अपने विभाग द्वारा

सामान्य प्रबंधक (बिक्री और पी. आर.) श्री आर. के. सिन्हा बनाम व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश [अरविंद कुमार, जे.]
1114

विवादित आदेश के तहत एक से अधिक कारणों से न्यायसंगत और उचित है; सबसे पहले गुजरात स्टील ट्यूब मैटर (ऊपर) में यह देखा गया कि स्टील ट्यूब को गैल्वनाइज किया गया था और उसी के कारण, यह स्टील ट्यूब बनना बंद नहीं हुआ क्योंकि इसकी संरचना या कार्य में बदलाव नहीं हुआ है और यह स्टील ट्यूब के रूप में बना हुआ है। जबकि तत्काल मामले में निर्माण की प्रक्रिया के दौरान रंगीन कांच की चादर में बदलाव आया है और जैसा कि अधिकारियों द्वारा देखा गया है कि इसमें अधिक विकिरण अवशोषण क्षमता है और यह एक सादे कांच की चादर की तुलना में इसकी पारदर्शिता और घनत्व में भी भिन्न है या दूसरे शब्दों में वस्तु विनिर्माण प्रक्रिया के बाद समान नहीं रही। दूसरा, मकसूद मोहम्मद मामले (ऊपर) में यह देखा गया कि उत्पादन प्रक्रिया के बाद उत्पाद "काला नमक" एक खाद्य नमक के रूप में बना रहा या दूसरे शब्दों में यह नमक की एक प्रजाति थी और इस तरह इसे कर से छूट दी गई थी और उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 ए के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है। गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड (उपरोक्त) को अलग करने के लिए ऊपर उल्लिखित सादृश्य मकसूद मोहम्मद मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को अलग करने के लिए पूरी तरह से लागू होता है, जो उसमें प्राप्त तथ्यों पर था।

26. जब निर्धारिती यह तर्क दे रहा होता है कि कोई वस्तु/उत्पाद अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो अनिवार्य रूप से उक्त तथ्य को साबित करने का बोझ निर्धारिती पर होता है और तत्काल मामले में, अपीलार्थी के व्यावसायिक परिसर का निरीक्षण विभाग की विशेष जांच शाखा द्वारा किया गया था और यह पता चला कि "रंगीन कांच की चादर" का निर्माण एक अलग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा था। इस प्रकार अपनाई गई प्रक्रिया को मूल्यांकन आदेश में निम्नलिखित प्रभाव से संक्षेप में समझाया गया है:

“एक गहन जांच XXX रु। 9,47,28,446.00। इलाहाबाद इकाई द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया है कि रंगीन कांच का निर्माण व्यापारी द्वारा एक अलग इकाई में किया जाता है और इसके निर्माण में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल भी शीट ग्लास के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल से अलग होता है। रंगीन कांच के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल में शीट ग्लास के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के अलावा कोबाल्ट ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आदि हैं। इसके निर्माण के लिए एक विशिष्ट सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। रंगीन कांच का पारदर्शिता घनत्व साधारण कांच की सतह से अलग है। रंगीन कांच की सौर विकिरण अवशोषण क्षमता साधारण शीट ग्लास की तुलना में अधिक है। बाजार की सामान्य बोलचाल में रंगीन कांच को शीट ग्लास के रूप में नहीं समझा जाता है।

इसलिए, रंगीन कांच की सादे चादर को शीट ग्लास नहीं माना जा सकता है। XXX को अवगत कराने के बाद कर देयता निर्धारित की जाएगी।” इस पृष्ठभूमि में, जब अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बागरिया का यह तर्क कि "सादे कांच के पैन" में 'टिंटेड ग्लास शीट' शामिल होगी, की जांच की जाती है, तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि "कांच के बर्तन" का सामान्य अर्थ 'टिंटेड ग्लास शीट' से नहीं जोड़ा जा सकता था या बहिष्करण प्रविष्टि (IV) में ही निर्दिष्ट सी होता। हमारी सुविचारित राय में, अधिसूचना दिनांक में आने वाली अभिव्यक्ति "कांच से बने सभी सामान और माल": 07.09.1981 काँच की सभी वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए लिया जाना चाहिए, सिवाय उन वस्तुओं के जिन्हें प्रविष्टि में ही विशिष्ट रूप से बाहर रखा गया है। 27. यह संदर्भ से बाहर या दूसरे शब्दों में रामावतार के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उचित नहीं होगा।

बुधाइप्रसाद आदि। बनाम सहायक बिक्री कर कार्यालय-(1962) 1 एससीआर 279

जिसमें राजस्व द्वारा भृंग के पत्तों पर बिक्री कर लगाने की चुनौती को इस निष्कर्ष पर पहुँचकर बरकरार रखा गया कि विधायिका ने दो अलग और अलग-अलग वस्तुओं का उपयोग करके अपनी मंशा का संकेत दिया था जो आइटम 6 "सब्जियां" आइटम 36 "भृंग के पत्ते" हैं। यह माना गया कि मूर्तियों पर कर लगाने में "सब्जियां" शब्द को आम बोलचाल के रूप में समझा जाना चाहिए जो उन सब्जियों के वर्ग को दर्शाता है जो रसोई के बगीचे या खेत में उगाई जाती हैं और मेज के लिए उपयोग की जाती हैं। यह आगे आयोजित किया गया था:

“3. अनुसूची में संशोधन किया गया। लेकिन इस शब्द का अर्थ किसी भी तकनीकी अर्थ में या वनस्पति विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आम बोलचाल में समझा जाना चाहिए। अधिनियम में इसकी अवहेलना नहीं की गई है और हर दिन हमारे लिए एक शब्द होने के नाते इसका अर्थ इसके लोकप्रिय अर्थ में लिया जाना चाहिए जिसका अर्थ है "वह अर्थ जो लोग उस विषय-वस्तु से परिचित हैं जिसके साथ कानून काम कर रहा है, वह इसके लिए जिम्मेदार होगा।" इसका सामान्य भाषा में समझे जाने के रूप में अर्थ लगाया जाना चाहिए; कानून पर क्रेज़, p.153 (पाँचवाँ संस्करण)। यह इस तरह आयोजित किया गया था।

28. इस न्यायालय ने मैसर्स इंडो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज बनाम बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (1981) 2 एस. सी. सी. 528 में लगभग समान जांच की।

यह मुद्दा कि क्या हाइपोडर्मिक नैदानिक सिरिंज को उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 39 के तहत "कांच के बर्तन" के रूप में माना जा सकता है और निर्धारिती की याचिका को यह राय देकर नकार दिया कि मूर्तियों पर कर लगाने में, शब्दों और वाक्यांशों को लोकप्रिय या वाणिज्यिक भाषा में समझा जाना चाहिए न कि तकनीकी रूप से। यह आगे आयोजित किया गया:

सामान्य प्रबंधक (बिक्री और पी. आर.) श्री आर. के. सिन्हा बनाम व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश [अरविंद कुमार, जे.]
1116

“5. उपरोक्त सुव्यवस्थित परीक्षण को ध्यान में रखते हुए सवाल यह है कि क्या नैदानिक सिरिंज को अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 39 के भीतर आने वाले "कांच के बर्तन" के रूप में माना जा सकता है? यह सच है कि "कांच के बर्तन" अभिव्यक्ति का शब्दकोश अर्थ "कांच से बने लेख" है (वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी देखें)। हालांकि, वाणिज्यिक अर्थों में कांच के बर्तनों में कभी भी नैदानिक सिरिंज, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर जैसी वस्तुएं शामिल नहीं होतीं, और इस तरह की वस्तुएं जिनमें विशेष महत्व और उपयोगिता होती है। लोकप्रिय या वाणिज्यिक भाषा में "कांच के बर्तनों" में काम करने वाला एक सामान्य व्यापारी आमतौर पर नैदानिक सिरिंज, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर आदि जैसी वस्तुओं का सौदा नहीं करता है, जो कांच से बने होते हैं, लेकिन आमतौर पर मेडिकल स्टोर में या निर्धारिती की तरह इसके निर्माताओं के पास उपलब्ध होते हैं। यह समान रूप से संभावना नहीं है कि उपभोक्ता कांच के बर्तनों की दुकान से ऐसी वस्तुओं की मांग करेगा। लोकप्रिय अर्थों में जब कोई कांच के बर्तनों की बात करता है तो नैदानिक सिरिंज, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर और इस तरह की विशेष वस्तुएं किसी के दिमाग में नहीं आती हैं। उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि नैदानिक सिरिंज जो निर्धारिती बनाता है और बेचता है, उन्हें अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 39 के भीतर आने वाले "कांच के बर्तन" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

29. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि न तो शब्दकोश का अर्थ और न ही सामान्य बोलचाल का सिद्धांत अपीलार्थी के बचाव में आएगा। जैसा कि भारतीय मानक विनिर्देशन में इंगित किया गया है, पारदर्शी शीट ग्लास के संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रचार की गई दलीलों ने भी उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और विवादित आदेश के तहत निपटा गया है और इसे राजस्व के पक्ष में तथ्यों पर अलग किया गया है, और ठीक ही है, इसके तहत बताए गए कारणों के लिए जो हम मानते हैं कि ऊपर उल्लिखित कानून के तय किए गए सिद्धांतों के अनुरूप है और इस तरह विवादित आदेश में हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

30. आई. डी. 1 दिनांकित अधिसूचना में कोई अस्पष्टता नहीं है और प्रविष्टि संख्या 4 स्पष्ट और स्पष्ट है कि इसने "कांच से बने सभी सामानों और वस्तुओं" को कर के दायरे में लाया है, लेकिन इसमें "सादे कांच के फलक" शामिल नहीं हैं और छूट कानून का निर्माण होने के कारण, इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और भले ही छूट खंड में कोई अस्पष्टता हो, उसे राजस्व के लाभ के लिए जाना चाहिए। [(2018) 9 एस. सी. सी. 1 पैरा 36 से 38]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

31. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हमारा विचार है कि विवादित निर्णयों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी और तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1996-97 के लिए 2023 की सिविल अपील No.5914 (2013 की विशेष अनुमति याचिका (c) No.29516) में जारी किए गए पुनर्निर्धारण के लिए अधिसूचना को बरकरार रखा गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन